कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक– 122 /124व्यग–अधि0–उ0/2020 दिनांक– 01/03/2021

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के ज्ञाप सं0–1327/82व्यक–सा0/2020 दिनांक 02.07.2020 तथा पत्र सं0– 11/82व्यक–सा0/2020 दिनांक 04.01.2021 द्वारा लो0नि0वि0 में कार्यरत 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे कार्मिक जिनके नियुक्ति अधिकारी विभागाध्यक्ष से भिन्न अर्थात् मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता है, की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु स्कीनिंग कमेटी का गठन किया गया है।

उक्त क्रम में परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0 ए0डी0बी0, लो0नि0वि0 देहरादून के पत्र संख्या–839/18(01)पी0एम0यू0/2020 दिनांक–23.11.2020 द्वारा अवगत कराया है कि लो0नि0वि0 के अन्तर्गत ए0डी0बी0 के कार्यों के सम्पादन हेतु खण्डीय कार्यालयों के सृजन के साथ–साथ विंग के तौर पर परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता तथा दो अधीक्षण अभियन्ताओं का निदेशन कार्यालय पूर्व से सृजित है। वर्तमान में ए0डी0बी0 से सम्बन्धित कार्यों का लगभग सम्पादन करा दिया गया है, जिसके कारण परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता कार्यालय एवं सम्बन्धित वृत्तीय/कतिपय खण्डीय कार्यालय सम्भवतः निकट भविष्य में समाप्त/बन्द करा दिये जाए। वर्तमान में इन कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण स्टाफ का अभाव बना हुआ है। उक्त के दृष्टिगत परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0 देहरादून द्वारा ए0डी0बी. के खण्डीय कार्यालयों एवं वृत्तीय कार्यालय में कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की स्कीनिंग की कार्यवाही सम्बन्धित सिविल क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से कराये जाने हेतु अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता उनके क्षेत्रान्तर्गत जनपदों में स्थित ए0डी0बी0 खण्डों में कार्यरत 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों का निस्तारण करेंगे तथा अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0 टिहरी अपने वृत्तान्तर्गत खण्डों एवं कुमांऊ क्षेत्र में स्थित ए0डी0बी0 के खण्डों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता वाली समिति में सदस्य होंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

ह0/-
(हरिओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर– I(मुख्यालय–अधि0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी।
4. परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0 ए0डी0बी0, लो0नि0वि0 देहरादून।
5. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधि0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

क्रमशः 2 प

6. अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने वृत्तान्तर्गत खण्डों एवं कुमांऊ क्षेत्र में स्थित ए0डी0बी0 के खण्डों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सदस्य के तौर पर सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता वाली समिति में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ए0डी0बी0 खण्ड, उत्तराखण्ड लो0नि0वि0।
8. अधिशासी अभियन्ता (अधि0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सैल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी I/II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
11. वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन क/ख/ग/घ/कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
12. गार्ड पत्रावली हेतु।

27/2/2021

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

27/2/2021